फर्द अहकाम

भागीरथ बनाम शम्भूपाल

न न्यायालय ACEM(CFT)/शाहपुरा

स संख्या 185/2016 पत्रावली

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30/3/17	उगत 29/3/17 को अभिभाषक उपस्थित / [illegible] P.O. साहब [illegible] हैं। पत्रावली प्राप्त [illegible] पालना में दिनांक 6-4-17	नकल जवाब प्रतिवादी पक्ष प्राप्त की टिप्पणी 30/3/17
	6-4-17	अभिभाषक उपस्थित / अभिभाषक [illegible] P.O. साहब [illegible] हैं। पत्रावली प्राप्त [illegible] की पालना में दिनांक 13-4-17 [illegible] हो।	
	13/4/17	अभिभाषक [illegible] हैं। पत्रावली प्राप्त [illegible] की पालना में दिनांक 3-5-17 [illegible]	
	3/5/17	[illegible] उपस्थित P.O. साहब [illegible] हैं। पत्रावली प्राप्त [illegible] आदेश की पालना में दिनांक 9-5-17 [illegible] हो।	
	9/5	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प टमटमपुरा में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित नहीं आये। पत्रावली का अवलोकन किया। अदालती [illegible] की तामील मुद्दे में ली गयी तो उपस्थित नहीं आये। पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित भूमि के सम्बन्ध में दायर अन्तरिम धारा 88, 188 न्यायालय के विचाराधीन है। जिस का अन्तिम निर्णय, साक्ष्य व दस्तावेजात के अनुसार गुणावगुण के आधार पर विधिवत सुनवाई पश्चात की जाकर तय तक उक्त प्रकरण को लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है एवं पक्षकारान को अन्तरिम T.I. पूर्व ता फैसला दावा पाबन्द किया जाना अनुचित सुरक्षित रखते हुए नहीं बनता है। अतः दोनों पक्षों को ता फैसला दावा अन्तरिम T.I. आदेश दि० 16.3.2016 से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि के सम्बन्ध में मौके की यथास्थिति बनाये रखें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार हो। [illegible]	

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)